जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.06.2024

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाने के हिस्ट्रीशीटर सहित 01 बाल अपचारी हिरासत में, कब्जे से चोरी किये गये 02 बैटरे एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.02.2024 को नूरदीन पुत्र नवाब निवासी ग्राम पटनी परतापुर थाना झिंझाना जनपद शामली के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर व ई-रिक्शा की बैट्री को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण कर प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत हुई बैटरी चोरी की घटना में शामिल थाने के हिस्ट्रीशीटर सहित 01 बाल अपचारी हिरासत लिया गया तथा कब्जे से चोरी किये हुए 02 बैटरे एवं चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तः-

1.रामकुमार पुत्र बीदल निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली (हिस्ट्रीशीटर)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 326/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 172/17 धारा 323,363,366,504 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 12/18 धारा 380,411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
4.मु0अ0सं0 48/18 धारा 379,411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
5.मु0अ0सं0 217/18 धारा 379,411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
6.मु0अ0सं0 257/18 धारा 379,411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
7.मु0अ0सं0 259/18 धारा 401 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
8.मु0अ0सं0 207/18 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
9.मु0अ0सं0 263/18 धारा 414 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।
10.मु0अ0सं0 424/22 धारा 392 भादवि थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।
11.मु0अ0सं0 430/22 धारा 392 भादवि थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।
12.मु0अ0सं0 1229/22 धारा 392 भादवि थाना हाइवे जनपद मथुरा।
13.मु0अ0सं0 1050/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 307,414,482 भादवि थाना कोशीकलां जनपद मथुरा।
14.मु0अ0सं0 43/24 धारा 379, 411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
15.मु0अ0सं0 46/18 धारा 380,411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मथुरा।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये हुए एक प्लास्टिक के कट्टे में 02 बैटरे।
2.चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल नम्बर एचआर 06 एल 8299 ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 16200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2019 में अभियुक्त 1. अमरजीत सिंह पुत्र दीदार सिंह निवासी लक्ष्मीपुर लच्छी थाना काशीपुर जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 412/19 धारा 279,337,338,427 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 279,337,338,427 भादवि में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2. वर्ष 2023 में अभियुक्त 1. फिरोज पुत्र महमूद निवासी ग्राम गढीबरल थाना घरौंदा जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 662/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

3. वर्ष 2024 में अभियुक्त 1.राजा पुत्र शब्बीरा निवासी विजय हॉल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 10/24 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380/411 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.फिरोज पुत्र महमूद निवासी ग्राम गढीबरल थाना घरौंदा जनपद करनाल (हरियाणा) ।

2.राजा पुत्र शब्बीरा निवासी विजय हॉल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

3.अमरजीत सिंह पुत्र दीदार सिंह निवासी लक्ष्मीपुर लच्छी थाना काशीपुर जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI